भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2193

जिसका उत्तर 12 मार्च, 2025 को दिया जाना है ।

21 फाल्गुन, 1946 (शक)

स्मार्टफोन को आधार कार्ड से जोड़ना

2193.श्री लावू श्री कृष्णा देवरायालू :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अब तक जारी किए गए कुल आधार नंबरों का ब्यौरा क्या है तथा उनकी राज्य-वार स्थिति क्या है;
(ख) क्या सरकार ने आधार कार्ड जारी करने के लिए निजी कंपनियों से सहायता ली है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार ने सभी मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं के लिए मोबाइल सिम कार्ड को आधार कार्ड नंबर से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(च) क्या सरकार को ऐसे कई मामलों की जानकारी है, जिनमें गरीब लाभार्थी आधार से जोड़े जा सकने वाले स्मार्टफोन की अनुपलब्धता के कारण विभिन्न योजनाओं के लाभों से वंचित रह रहे हैं; और
(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से(ग):आधारविश्वकीसबसेबड़ीबायोमेट्रिकपहचानप्रणालीहैजिसमें 133 करोड़सेअधिकव्यक्तिशामिलहैं। राज्य-वारब्यौरा**संलग्न**है।आधार संख्या का नामांकन तथा उससे संबंधित सूचना को अद्यतन करने का कार्य पंजीयकों और नामांकन एजेंसियों के एक नेटवर्क द्वारा किया जाता है। इस नेटवर्क में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, अनुसूचित बैंक और निजी क्षेत्र की कंपनियों सहित विनियमित संस्थाएं व सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड एवं केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा विशिष्ट प्रयोजन के लिए तैयार की गई सहायक कंपनियाँ शामिल होती हैं।

(घ) से (छ): मोबाइलसिमजारीकरनेकेलिएआधारकाउपयोगअनिवार्यनहीहै। इसकेअलावा, यहभीकोईआवश्यकतानहींहैकिस्मार्टफोनकोआधारसेजोड़ाजाए।
सभीपात्रलाभार्थीसिमकोआधारसेलिंककिएबिनाविभिन्नसरकारीयोजनाओंकालाभउठासकतेहैं।

*****

संलग्नक

क्र.सं.	राज्य/संघराज्यक्षेत्र	जारी किएगएआधारकीअनुमानितसंख्या (जीवित)
1	अंडमानऔरनिकोबारद्वीपसमूह	3,85,944
2	आंध्रप्रदेश	5,27,37,409
3	अरुणाचलप्रदेश	12,41,440
4	असम	3,30,45,530
5	बिहार	11,40,44,083
6	चंडीगढ़	11,78,282
7	छत्तीसगढ़	2,89,96,954
8	दादराऔरनगरहवेलीऔरदमनएवंदीव	5,98,907
9	दिल्ली	2,29,67,482
10	गोवा	16,36,210
11	गुजरात	6,61,50,548
12	हरियाणा	3,09,28,038
13	हिमाचलप्रदेश	78,48,089
14	जम्मूकश्मीर	1,19,45,371
15	झारखंड	3,63,10,493
16	कर्नाटक	6,63,63,318
17	केरल	3,78,10,093
18	लद्दाख	2,48,997
19	लक्षद्वीप	75,387
20	मध्यप्रदेश	8,02,58,761
21	महाराष्ट्र	12,06,34,153
22	मणिपुर	26,65,848
23	मेघालय	26,95,031
24	मिजोरम	12,20,530
25	नागालैंड	13,95,202
26	ओडिशा	4,45,37,382
27	पुडुचेरी	13,00,764
28	पंजाब	3,15,58,009
29	राजस्थान	7,72,96,870
30	सिक्किम	5,83,243
31	तमिलनाडु	7,53,04,874
32	तेलंगाना	3,97,24,265
33	त्रिपुरा	38,93,159
34	उत्तरप्रदेश	22,36,28,656
35	उत्तराखंड	1,17,38,904
36	पश्चिमबंगाल	9,94,76,901
कुल		**1,33,24,25,128**

नोट्स:

1. आधारसंख्याकेआंकड़ोंकोअनुमानितमौतोंकेप्रयोजनार्थसमायोजितकियाजाताहै।
2. आधारसंख्याकेआंकड़ेआधारमेंदर्जपतेकेआधारपरराज्योंमेंकिएगएनामांकनोंपरआधारित होतेहैं। इनआंकड़ोंमेंनामांकनकेबादकेप्रवासपर विचार नहीं किया जाता है।
3. आधारसंख्या के आंकड़ोंमेंनामांकित किए गए अनिवासीभारतीयोंऔरनिवासीविदेशीनागरिकोंकेआंकड़ेभीशामिल होतेहैं।

*****